राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1613/2013

शंकर भवानी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. प्रेम प्रकाश मीणा, नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज, एसएमएस के पास, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.09.2013

आदेश की दिनांक : 26.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : डॉ. सौगत रॉय, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि नर्सिंग ट्यूटर के पद की रिव्यू डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति आदेश दिनांक 27.08.2010 में परिवर्तन करते हुये अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2001–02 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे और समस्त पारिणामिक लाभ दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 16.09.1989 के द्वारा हुई थी और अग्रिम पदोन्नति पद नर्सिंग ट्यूटर का है, जिसके लिये 5 वर्ष का अनुभव एवं बीएससी नर्सिंग कोर्स में एक वर्ष की सेवा का होना अनिवार्य है। वर्ष 2010 में नियम 1965 के अंतर्गत नर्सिंग ट्यूटर के पद भरे जाने हेतु अधिसूचना जारी की गई, जिसमें 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भी भरे जाते हैं। विभाग द्वारा दिनांक 05.06.2006 को नर्स ग्रेड द्वितीय की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 68 पर दर्शाया गया एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 श्री प्रेम प्रकाश मीणा का नाम क्रम संख्या 164 पर दर्शाया गया, जो अपीलार्थी से कनिष्ठ है। आदेश दिनांक 27.08.2010 के द्वारा अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की पदोन्नति नर्सिंग ट्यूटर की जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 95 पर और पदोन्नति सूची में पदोन्नति वर्ष 2003–04 आवंटित किया गया एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 जो अपीलार्थी से कनिष्ठ है, उसका नाम क्रम संख्या 86 पर दर्शाते हुये पदोन्नति वर्ष 2001–02 आंवटित किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 19.04.2013 को उक्त मामले के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4837/2013 नरेन्द्र सिंह राठौड व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2017 एवं डी.बी.स्पेशल अपील रिट संख्या 1824/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम नरेन्द्र सिंह राठौड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.01.2018 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें ऐसे मामलों को अनुचित माना है। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का कोई निराकरण नहीं किया गया और इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित करते हुये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर यह प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि नर्सिंग ट्यूटर के पद की रिव्यू डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति आदेश दिनांक 27.08.2010 में परिवर्तन करते हुये अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2001–02 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे और समस्त पारिणामिक लाभ दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि नर्सिंग ट्यूटर पद पर पदोन्नति नर्स–2 की वरिष्ठता सूची से नहीं की जाती क्योंकि नर्स–2 की वरिष्ठता सूची सभी कार्मिक नर्सिंग ट्यूटर पद पर पदोन्नति योग्यता नहीं रखते। नर्स–2 की वरिष्ठता सूची में

जो कार्मिक बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण हैं, वे ही नर्सिंग ट्यूटर पद पर पदोन्नति की योग्यता रखते हैं। बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण कार्मिकों के पास पदोन्नति हेतु दो विकल्प हैं कि वे नर्स–1 पद पर पदोन्नति चाहते हैं अथवा नर्सिंग ट्यूटर पर। ऐसे नर्स–2 जो नर्सिंग ट्यूटर पद की योग्यता रखते हैं, नर्सिंग ट्यूटर पद पर पदोन्नति हेतु विभाग द्वारा उनसे विकल्प पत्र भरवाया जाता है। विकल्प पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नर्सिंग ट्यूटर पद पर पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिकों की वरिष्ठता सूची पृथक से जारी कर वरिष्ठता के आधार पर नर्सिंग ट्यूटर पद पर पदोन्नति की जाती है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष निराधार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 16.09.1989 के द्वारा हुई थी। विभाग द्वारा दिनांक 05.06.2006 को नर्स ग्रेड द्वितीय की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 68 पर दर्शाया गया एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 श्री प्रेम प्रकाश मीणा का नाम क्रम संख्या 164 पर दर्शाया गया, जो अपीलार्थी से कनिष्ठ है। आदेश दिनांक 27.08.2010 के द्वारा अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की पदोन्नति नर्सिंग ट्यूटर की जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 95 पर और पदोन्नति सूची में पदोन्नति वर्ष 2003–04 आवंटित किया गया एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 जो अपीलार्थी से कनिष्ठ है, उसका नाम क्रम संख्या 86 पर दर्शाते हुये पदोन्नति वर्ष 2001–02 आंवटित किया गया। जहां तक वरिष्ठता सूची के अनुसार अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से वरिष्ठ होने के बावजूद निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 श्री प्रेम प्रकाश मीणा को नर्सिंग ट्यूटर के पद की पदोन्नति वर्ष 2001–02 एवं अपीलार्थी को उक्त पद की पदोन्नति वर्ष 2003–04 आवंटित किये जाने का प्रश्न है, वरिष्ठता सूची के अनुसार अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 68 पर दर्शाया गया है। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम क्रम संख्या 164 पर दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से वरिष्ठ है, जबकि उसे पदोन्नति वर्ष आवंटन में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से नीचे रखा गया है, जो नियमानुसार उचित प्रकट नहीं होता है, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया, उसका भी कोई निराकरण नहीं किया गया। वरिष्ठता के आधार पर नियमानुसार पदोन्नति वर्ष एवं पदोन्नति उचित

रूप से प्रदान नहीं किये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4837/2013 नरेन्द्र सिंह राठौड व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2017 एवं डी.बी.स्पेशल अपील रिट संख्या 1824/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम नरेन्द्र सिंह राठौड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.01.2018 में इस प्रकार के मामलों को अनुचित माना है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की योग्यतानुसार रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के समान ही पदोन्नति वर्ष 2001–02 में नर्सिंग ट्यूटर के पद पर पदोन्नति देने हेतु नियमानुसार विचार किया जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)